Rule 141 : Procedure in respect of seized goods

(1) Where the goods or things seized are of perishable or hazardous nature, and if the taxable person pays an amount equivalent to the market price of such goods or things or the amount of tax, interest and penalty that is or may become payable by the taxable person, whichever is lower, such goods or, as the case may be, things shall be released forthwith, by an order in **FORM GST INS-05**, on proof of payment.

(2) Where the taxable person fails to pay the amount referred to in sub-rule (1) in respect of the said goods or things, the [1]**[**proper officer**]** may dispose of such goods or things and the amount realized thereby shall be adjusted against the tax, interest, penalty, or any other amount payable in respect of such goods or things.

---

1 Substituted for "Commissioner" by Noti. No. 16/2020–Central Tax, dt. 23-03-2020 w.e.f. 23-03-2020.

नियम 141 : अभिगृहीत माल के संबंध में प्रक्रिया

(1) जहां अभिगृहीत माल या वस्तुएं विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति की है और यदि कराधेय व्यक्ति, ऐसे माल या वस्तुओं की बाजार कीमत के बराबर रकम का या ऐसे कर, ब्याज और शास्ति की रकम का, जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय है या हो गई है, के बराबर, इनमें से जो भी निम्नतर हो, संदाय कर देता है वहां, यथास्थिति, ऐसे माल या वस्तुओं को, संदाय के सबूत के आधार पर **प्ररूप जीएसटी आईएनएस–05** में आदेश द्वारा तुरंत निर्मोचित कर दिया जाएगा।

(2) जहां कराधेय व्यक्ति उक्त माल या वस्तुओं के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने में असफल रहता है वहां [1]**[उचित अधिकारी]** ऐसे माल या वस्तुओं का व्ययन कर सकेगा और उसके द्वारा वसूल की गई रकम को ऐसे माल या वस्तुओं के संबंध में संदेय कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य रकम के प्रति समायोजित कर सकेगा।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 16/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा ''आयुक्त'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2020)।